न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2014/00285 (154/2014) 223 आरटीएक्ट

स्वर्णदीप कौर पत्नी स्व0 श्री सुखतेज सिह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (राज0) –अपीलांट

बनाम

1. बलराजसिंह पुत्र श्री जसवीर सिह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. जसवीर सिंह पुत्र श्री कपूर सिह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. केवलजीत सिंह पुत्र श्री कालासिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
4. प्रविन्द्र सिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। –रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2004 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया प्रकरण सं0 116/2003 अनवान बलराज सिंह बनाम केवल सिह आदि

उपस्थितः–

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस

निर्णय दिनांकः– 30.11.2021

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद सहायक कलक्टर संगरिया के समक्ष घोषणा [illegible] तकसीम का प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि वादीगण को [illegible] चन्दसिंह ने उनकी खातेदारी कृषि भूमि चक 7 [illegible] तदवार [illegible] मालारामपुरा के [illegible] सं0 10/9 खाता में कुल 12.195 [illegible] अपना हिस्सा की [illegible] हिस्सा तादादी 4.066 है0 को जरिये विक्रयपत्र वर्ष 1998 में वादी को बेचान किया गया है। जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। नायब सिंह ने अपनी भूमि का बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपने भाईयों के साथ कर लिया था। उसी अनुसार वादीगण का कृषि भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं। वादी सं0 1 के भाई सुखतेज सिंह की दिनांक 25.07.2000 को मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय सुखतेज सिंह लाऔलाद फौत हो गया जिसके कोई विधिक वारिस नही थे जिस कारण सुखतेज सिंह के हिस्सा की कृषि भूमि का हक वादी सं0 1 के हक में समाहित हो गया। इस कारण वादी सं0 1 अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि तादादी 3.222 है0 हिस्सा का अकेला खातेदार काश्तकार हो गया व इसी अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी के भाई सुखतेज सिह का नाम जमाबन्दी सम्वत 2060 से कलमजन किया जावे। प्रतिवादी सं 1 के द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की हैं।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेंट वादी के द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमे वादी के द्वारा सुखतेज सिंह के कोई वैध व विधिक वारिस नही होना अंकित किया जबकि अपीलार्थीया सुखतेज सिह की वैध व विधिक पत्नी है तथा एकमात्र वैध व विधिक वारिस थी लेकिन रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया को पक्षकार नहीं बनाया है। सुखतेज सिंह के सभी वारिसान को पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया गया है। कोई विवादक कायम नहीं किये गये। सुखतेज सिंह के वारिस का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलाण्ट का हक मारने के उद्देश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही था, ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः विलम्ब को क्षमा किया जावे। रेस्पोडेण्ट ने अपीलार्थीया से छुपेतौर पर डिक्री प्राप्त कर अपीलार्थीया के पति की कृषि भूमि अपने नाम करवा ली है अपीलार्थीया एक प्रभावित पक्षकार है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से प्रकरण में प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्टा द्वारा स्वेच्छा से वारदग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा प्राप्त नही करने बाबत बतौर पी.डब्ल्यू. 3 बयान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी स्वेच्छा से तथा बिना किसी दवाब के लेखबद्ध करवाये हैं। अपना हक त्याग करने के बाद वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्टा का किसी प्रकार का कोई सरोकार या हक व हिस्सा शेष नही रहता है। अपीलाण्टा स्वयं द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान लेखबद्ध करवाये हैं जिसमें अपीलाण्ट को अपीलाधीन प्रकरण के बारे में पूर्ण जानकारी थी तथा आदेश व डिक्री का पूर्व में ज्ञान नहीं होने का तथ्य मिथ्या किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हैं। अपीलाण्ट ने 15 वर्ष बाद अपील पेश की है जो उचित नहीं है। अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट का अपील में यह आधार है कि अपीलाण्ट सुखतेज सिह की एक मात्र वेध व विधिक वारिस थी लेकिन रेस्पो0 सं0 1 ने उसे पक्षकार नही बनाया। सुखतेज सिंह की पत्नी होने के कारण सका प्रश्नगत आराजी में हक व हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट स्वर्णजीत कौर का शपथ–पत्र बयान पीडब्ल्यू 3 संलग्न है, इस शपथ–पत्र में उसने अपने बयान किये हैं कि "मेरे पति सुखतेज सिंह की फरवरी 2000 में मृत्यु हो गई थी मिकरा के पूर्व पति सुखतेज सिंह से कोई सन्तान पैदा नहीं हुई। मेरे पति की मृत्यु के बाद मिकरा ने अपने देवर बलराज सिंह से विवाह कर लिया था अब मिकरा बलराज सिंह की पत्नी के रूप में रह रही हूं। यह भी बयान किया है कि "मेरे पति सुखतेज सिंह से उसकी 7 केएसडी में सुखतेज सिंह के हिस्सा की कृषि भूमि की मिकरा के हिस्सा में आई कृषि भूमि मिकरा ने अपने पति बलराज सिंह के हक में छोड़ दी है। मिकरा का पति बलराज सिंह ही उक्त समस्त कृषि पर काश्त करता है तथा बलराज सिहं के ही कब्जा काश्त में है। यदि बलराज सिंह को 3.222 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मिकरा कोई आपत्ति नहीं होगी"। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण का अपीलार्थीया को पूर्व से ही जानकारी रही है एवं सुखतेज सिंह की मृत्यु के बाद उसने सुखतेज सिंह के भाई शादी कर ली एवं अपना हिस्सा सुखतेज सिंह के भाई के हक में त्याग दिया था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2004 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested

30/11/21

(कंवरसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़